रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226354 CG-DL-E-01042021-226354

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] No. 197] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 अप्रैल. 2021

सा.का.नि. 248(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 139, धारा 143, धारा 147 और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:–

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) द्वितीय संशोधन नियम, 2021 है।
 - (2) ये नियम 1 अप्रैल, 2021 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में, नियम 11 में, खंड (छ) में "क्या कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2022 को अथवा उसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में क्या कंपनी" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा.सं.1/33/2013-सीएल-V (पार्ट)]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 31 मार्च, 2014 की संख्या सा.का.नि. 246(अ) द्वारा प्रकाशित हुए थे और सा.का.नि. 206(अ) तारीख 24 मार्च, 2021 के द्वारा इनमें अंतिम बार संशोधन किया गया।

2022 GI/2021 (1)

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

- G.S.R. 248(E).—In exercise of the powers conferred by sections 139, 143, 147 and 148 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Audit and Auditors) Second Amendment Rules, 2021.
 - (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2021.
- 2. In the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in rule 11, in clause (g), for the words "Whether the company", the words, figures and letters "Whether the company, in respect of financial years commencing on or after the 1st April, 2022," shall be substituted.

[F. No.1/33/2013-CL-V (Part)]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended *vide* G.S.R. 206(E) dated the 24th March, 2021.